# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ाज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

रामनिवास बनाम नत्थुराम आदि

किस्म मुकदमाः—दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट मु.नं.एवं सन 67/2016

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.11. 2017 | वादी के वकील श्री नजीर अहमद उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से सुमेरमल स्वामी एडवोकेट उपस्थित। वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पत्रावली आज ही पेशी में ली जावे। वादी अपने वाद को प्रत्याहरण करना चाहता है। प्रतिवादी के वकील को प्रार्थना पत्र की नकल दिलाई गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद तन्कीहात की स्टेज पर चल रहा है। प्रतिवादी ने दिनांक 23.10.2017 को जबाब दावा प्रस्तुत कर काउन्टर क्लेम का उल्लेख किया है। प्रतिवादी ने काउन्टर क्लेम को नोटप्रेस करने की अन्डरटेकिंग लिखित में फर्द अहकाम पर अंकित की है ओर हस्ताक्षरित है। प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षो ने सहमति प्रकट की है। वादी ने वाद—पत्र को नोटप्रेस किया है, अतः वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ओदश 23 नियम 1 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादी को वाद प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। वादी ने वाद—पत्र का प्रत्याहरण किया। वाद—पत्र नोटप्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 16/11/17 उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला (जिला—बीकानेर) | |